

जातियोलय जेना । द्वा० ल०/ अधिकारी
(प्रारंभिक शिक्षा) जयपुर कार्यालय-आदेश

शैक्षिक / सी / 19626 / 09-10 / 18-19 दिनांक 29.01.2009 के अनुपालना में निम्नकिंत शर्तों के सरकार द्वारा वर्णित क.सं. 1 से 5 तक में निर्देशि शर्तों व पालना करने बाबत प्रस्तुत कर राज सरकार किया जाता है—

- 01 राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था के नियम-1993 के परिशिष्ट-2 में यथा निर्देशित नियमोंको उधा शर्तों की पूर्ति करने बाबत प्रस्तुत शपथ-पत्र के अनुसार सभी शर्ते पूर्ति करती हैं।
- 02 संस्था द्वारा राज्य सरकार / आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा एवं जिला एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-2 पर जारी किये जाने वाले आदेशों, निर्देशों व अनुदेशों की पालन किया जावेगा। एवं समय-2 उनके द्वारा गांगी जाने वाली प्रत्येक सूचना समय पर प्रेषित की जावें।
- 03 संस्था के विधार्थी किसी अन्य गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी विधालय में प्रवेश पा सकेंगे, किन्तु संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- 04 संस्था को प्रारंभिक स्तर से उच्च प्रारंभिक स्तर में सत्र 2009-10 से कमीन्त की जावेगी, कमीन्त प्रथम सत्र में कक्षा-6में, सत्र 2010-11 में कक्षा-7, एवं सत्र 2011-12 में, कक्षा-8 प्रारम्भ की जावेगी।
- 05 कक्षानुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक मानदण्डानुसार किये जावेंगे।
- 06 भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा।
- 07 दिनांक 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामकरन एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय-व्यय तिवरण राजनीय कार्यालय की सम्बन्धित शैक्षिकों में प्रस्तुत करेंगे।
- 08 वर्षायेर कमेंटरियों को नियमानुसार वेतन भर्ती आदि की सुविधा दी जावें।
- 09 शिक्षा से योग्यता परीक्षाएँ वर्षायेर को आपकी शाला से अग्रिमर्य रूप से जोड़कर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- 10 शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों की असत्यता पाई जाने पर उक्त जारी प्रमाण-पत्र/आदेश निरस्त किया जासकता और संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
- 11 फीस में वहि माननीय न्यायालय के नियम के अनुर्गत ही की जासकेगी।

क्रमांक	प्रारंभिक	नाम संस्था भव्य पता	कमीन्ति दर
1	44		
2	19	दीक्षा विद्यालय संस्था, 18 वी. अग्निता कॉलोनी विस्तार, गोविन्दपुरा रोड, टोल टेक्स, जयपुर	उप्राधि
3	37	न्यू योवन इन्सर नेरालन स्कूल, सिंहार्थ नगर, जयपुर	उप्राधि
4	42 ✓	सेन्ट मेरीस ऑफ़िन्यून स्कूल, तिलावाला, जयपुर	उप्राधि
5	55	अरावली पाइलिंग स्कूल, ५८ २० के सामने बैंकटर -६ जयाहरनगर, जयपुर	उप्राधि
6	82	मारतीय विद्या निकेतन, रामपुराढ़ाका वाला पं.स. मूदू	उप्राधि
7	84	महर्षि दयानन्द संश्कृती पाइलिंग स्कूल, श्रीरामपुरा, पं.स. दूदू	उप्राधि
8	90	राधना पाइलिंग स्कूल, याम मौनपुरा रेलवाल मार्जी, पं.स. कामी	उप्राधि
9	110	इमिनेशन ऑरेन पाइलिंग स्कूल, ४५६, नैवीनगर, न्यू सारानेर रोड, जयपुर	उप्राधि
10	115	जानदीप पाइलिंग स्कूल, शास्त्र- छागरवाड़ा पं.स. जयवारामगढ़	उप्राधि
	116	सरस्वती शिवाल संस्थान पाइलिंग स्कूल, मुदो मुदा वैरसल वाया फुर्लेश तह, जोगावाड़ पं.स दूदू	उप्राधि

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर
दिनांक ३१.१.०९

कामकाजिशिव / जय / प्राशि / जय / स्कूल-४/फा- ४८(खालील) / ०९-०९ / ५५७ - ६२
प्रतिलिपि निम्न यो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. किम्बुल सहो. प्रारंभिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
2. शिक्षा उप निदेशक(प्रारंभिक शिक्षा) जयपुर संभाग, जयपुर।
3. सम्बन्धित संस्था प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी।
4. सम्बन्धित संस्था सचिव, सेन्ट मेरीस कॉलेज स्कूल, तिलावाला, जयपुर, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

L. M. Pette
Principal
St. Mary's Convent Sr. Sec. School
Jagatpura, Jaipur (Raj.) 302025

मानसि



Office of Competent Authority
Room No. 2217, Second Floor, Main Building,
Government Secretariat,
Rajasthan, Jaipur-302 005.

No. PS/MA/2011

Dated 03.11.2011....

On consideration of the Documentary Evidence produced before the Competent Authority, The Competent Authority is satisfied that St. Mary's Convent School, Goner Road, Jagatpura, Jaipur (Rajasthan) managed by the St. Mary's Convent Higher Secondary Educational Society, Ajmer (Rajasthan) is a Minority Educational Institution within the meaning of Section 2(g) of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 read with the Notification issued by the Government of Rajasthan No. F.4(1) Maw/2010 dated 24.01.2011.

Consequently, It is hereby declared that the aforesaid College/School is a Minority Educational Institution covered under Article 30 of the Constitution of India.

The Institution shall comply with all the Rules and Regulations issued in this regard and display all necessary information in Public Interest on its website.

Given under my hand and the seal of the Competent Authority on this 3rd Day of November, 2011.

Rohit R. Brandon
Principal Secretary to Government
Department of Minority Affairs
Competent Authority

